भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

भाकृअनुप
ICAR

पत्रावली क्रमांक:07(ii)06/CS/Auction of Farm Produce/2024-25/ 4210 दिनांक: 26.09.2024.

संस्थान फार्म प्रक्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डो (बेर, आंवला, खजूर, एग्रोफोरेस्टरी) के 25 बीघा क्षेत्रफल में ग्वार की बुवाई की गई ग्वार फसल की नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 07.10.2024 को सुबह 11.00 बजे बोली आयोजित की जावेगी।

नियम व शर्तें:

1. संस्थान द्वारा केवल पानी स्प्रिन्कलर एव पाईप उपलब्ध करवाये जायेगें अथवा कीट के प्रकोप हेतु दवा / स्प्रेयर उपलब्ध करवाया जा सकता है।
2. अन्य किसी प्रकार का संसाधन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
3. संस्थान को 100 किलो ग्राम साफ बीज उपलब्ध कराना होगा। इसके लिये कोई भी भुगतान देय नही होगा।
4. चारे एवं दाने पर अनुबंधक का अधिकार होगा।
5. ग्वार मे निराई गुडाई कटाई थ्रेसिंग इत्यादि कार्य संस्थान कार्य दिवस में संबधित तकनीकी अधिकारी / प्रभारी प्रक्षेत्र की देखरेख मे होगा एवं गेट पास प्राप्त कर कृषि आदान की नीकासी की जा सकता है।

4. **फार्म प्रक्षेत्र के प्रखण्डों में बुवाई की गई ग्वार** (मिश्रित ग्रेन) की **कटाई–गहाई का कार्य जिसकी नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क किया जा सकता है।**

5. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में **रु. 2000/- (रूपये दो हजार मात्र)** जमा कराने होगें।

6. जिस व्यकित के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का 50% (पचास प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नौन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा तुडाई कार्य शुरु किया जावेगा।

7. सफल बोलीदाता के द्वारा सम्पूर्ण नीलामी राशि निर्धारित दिनांक व समय पर जमा नही कराने पर उसके द्वारा जमा करायी गयी नीलामी राशि एवं बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी, साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। इस स्थिति मे द्वीतीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

8. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फार्म प्रक्षेत्र के प्रखण्डों में बुवाई की हुई ग्वार की कटाई–गहाई कार्य के दौरान वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें। वृक्षों के बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

9. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात कार्य करने का कार्यादेश जारी होने के **एक माह** में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक नही रहेगा। इस अवधि में ग्वार फसल की सुरक्षा का उतरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।

10. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उतरदायी नही होगा।

11. संस्थान फार्म प्रक्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डो (बेर, आंवला, खजूर, एग्रोफोरेस्टरी) के 25 बीघा क्षेत्रफल मे ग्वार की बुवाई की गई ग्वार फसल की कटाई–गहाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य

राजकीय अवकाश में उक्त कार्य नही होगी। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को उक्त कार्य के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। ग्वार ग्रेन की कटाई के पश्चात ग्वार बीज व चारा–सह उत्पाद को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।

12. बुवाई की हुई ग्वार की कटाई–गहाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।

13. किसी भी प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आंधी-तूफान, पशु से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से ग्वार फसल को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी

14. ग्वार फसल की कटाई–गहाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उतरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उतरदायी नही होगा।

15. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) बुवाई की हुई ग्वार फसल की कटाई–गहाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

16. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण : By Email

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोक्स सं.07 जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछ्वाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,, पोस्ट बोक्स सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछ्वाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।

Sh. Sanjay Patel